लोक सभा

अतारांकित प्रश्नआ संख्या4348

20 अप्रैल, 2015 को उत्तणर के लिए

सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों हेतु लौह अयस्क खानें

4348. श्री इन्नोसेन्ट:
श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री पी. के. बिजू:
डॉ. ए. सम्पत:
क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों (पी एस यू) का और देश में इनमें से प्रत्येक से संबद्ध खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को रक्षित लौह अयस्क खानों के आवंटन में विलंब के कारण इनकी क्षमता संवर्धन और उत्पादन लक्ष्य प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तघर

इस्पा ीत और खान राज्यत मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क): इस्पानत मंत्रालय के नियंत्रण में इस्पा त का उत्पा दन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम (पीएसयू) हैं, नामत: स्टीपल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्री ूय इस्पा्त निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)।

सेल नौ लौह अयस्क) खानों और सात फ्लक्सि खानों (लाइम स्टोटन एवं डोलोमाइट) तथा चार कोयला खानों का प्रचालन झारखण्डं , ओडिशा, मध्यल प्रदेश कनार्टक, छत्तीथसगढ़ और पश्चिम बंगाल में कैप्टिव उपयोग के लिए कर रहा है। इनके अतिरिक्तय सेल की रावघाट में लौह अयस्कव डिपाजिट और बाराद्वार (छत्तीरसगढ़) में डोलोमाइट डिपाजिट भी है। आरआईएनएल के पास कोई संबद्ध लौह अयस्क अथवा कोयला खानें नहीं हैं , लेकिन चार फ्लक्सड खानें यथा आन्ध्रम प्रदेश में लाइमस्टोदनमैगनीज और सैंड की एक-एक तथा तेलंगाना में डोलोमाइट की एक खान आरआईएनएल के पास है।

(ख): जी नहीं।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****